

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245593 CG-DL-E-02052023-245593

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

No. 2801

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सं. आरए—14026(11)/3/2019—केविविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 को दिनांक 12.02.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, धारा 4, सं. 85 में प्रकाशित किया गया था,

चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 (इसके बाद ''सहायक सेवाएं विनियम, 2022) के विनियम 1 के खंड (2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा यथाधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

चूंकि, सहायक सेवाएं विनियम, 2022 के विनियम 6, विनियम 14 से विनियम 19 के अधीन उपबंधों, विनियम 20 से विनियम 22 से संबंधित उपबंधों, और विनियम 26 के आरंभ के लिए अधिसूचना दिनांक 31.03.2023 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग—III, खंड—4, सं. 219 में प्रकाशित हुए थे।

चूंकि, आयोग ने सहायक सेवाएं विनियम, 2022 के उक्त उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा की है।

और, अब, अतएव, दिनांक 31.03.2023 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग—III, खंड—4, सं. 219 में प्रकाशित पूर्वोक्त अधिसूचना के अधिक्रमण में, एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022, के निम्नलिखित उपबंध दिनांक 01.06.2023 से प्रवृत्त होंगे:—

- i. विनियम 6 के अधीन टीआरएएस से संबंधित उपबंध;
- ii. विनियम 14 से 19;
- iii. विनियम 20 से 22 में टीआरएएस से संबंधित उपबंध
- iv. विनियम 26

2859 GI/2023 (1)

और, यह भी अधिसूचित किया जाता है कि विनियम 26 के प्रवृत्त होने के साथ, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2015 के अधीन जारी विस्तृत क्रियाविधियां, दिनांक 01.06.2023 से प्रचालन में बनी नहीं रहेंगी।

हरप्रीत सिंह प्रथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./60/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2023

No. RA-14026(11)/3/2019-CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 were published in Part-III, Section 4, No. 85 of the Gazette of India Extraordinary on 12.02.2022.

Whereas, Clause (2) of Regulation 1 of the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 (hereinafter "the AS Regulations, 2022") provides that the Regulations shall come into force with effect from such date as may be notified by the Commission.

Whereas, the Notification for commencement of the provisions under Regulation 6, Regulations 14 to 19, provisions pertaining to Regulations 20 to 22, and Regulation 26 of the AS Regulations, 2022 was published in Part-III, Section 4, No. 219 of the Gazette of India Extraordinary on 31.03.2023.

Whereas, the Commission has reviewed the preparedness of the agencies responsible for implementation of the aforesaid provisions of the AS Regulations, 2022.

And, now, therefore, in supersession of the aforesaid Notification published in Part-III, Section 4, No.219 of the Gazette of India Extraordinary on 31.03.2023, it is hereby notified that the following provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 shall come into force from 01.06.2023: -

- i. Provisions pertaining to TRAS under Regulation 6;
- ii. Regulations 14 to 19;
- iii. Provisions pertaining to TRAS in Regulations 20 to 22
- iv. Regulations 26.

And, it is further notified that with the coming into force of Regulations 26, the Detailed Procedures issued under the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2015 shall cease to be in operation from 01.06.2023.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./60/2023-24]